

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमरीक सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत राम नगर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	3.90
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.03
3)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.03
4)	8	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान	0.81
5)	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना।	0.13

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/08/2025 से 22/08/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	02/2025	06/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹2400** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 505(1)/2025 दिनांक 22/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत राम नगर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गोंदपुर बनेहरा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 454107 दिनांक 22/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत राम नगर द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 तक के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2024-25	737325.04	3338241.56	4075566.6	2657933.56	1417633.04

नोट:- 15वें वित्तायोग शीर्ष का अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत राम नगर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹63.64** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	1417633.04
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1 अनुसार)	1416755.68
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	941.00
4)	योग (2+3)	1417696.68
5)	अन्तर (4-1)	63.64
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		63.64
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		0.00
कुल अंतर		63.64

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹63.64 का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹63.64** का अन्तर पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 500/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त अंतर

की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (4-3) (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त समेकित)	390189.77	390253.41	63.64

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹3.90 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि [परिशिष्ट क 1(a)] पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में ₹390189.77 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹3450 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	1450	40100	41550	38100	3450

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 ₹0.01 लाख की दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में यथा **(परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹500** वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	2750	3000	5750	5250	500

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹2600 सलग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	2600

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 501/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.81 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 06/2024 में अंकेक्षण को **यथा परिशिष्ट "ड"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹80946** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलग्न नहीं थे। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 504/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः **₹80946.00** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.13 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न**

1

विवरणानुसार ₹12587 की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 505/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अतः पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
RGSA	RGSA/2024-25/P/7	542 30.03.24	YADVINDER HARDWARE VPO NAKROH	PAINT MATERIAL	12587

10 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 497/2025 दिनांक 21/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/60 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
3	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
4	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
5	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
6	बिल रजिस्टर	13	48

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

01 NOV 2025

01 NOV 2025

का.०/जी

6801-6805

01.11.25

(कृष्ण लाल नेगी)

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)134 / 2025-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत रामनगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01.11.25

(कृष्ण लाल नेगी)

सहायक निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

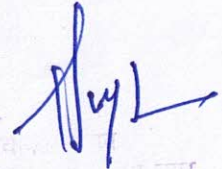
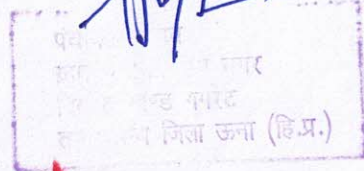
का.०/जी

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	737325.04	3338241.56	4075566.6	2657933.56	1417633.04


13
12

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	737325.04	1643657	2380982.04	963349	1417633.04

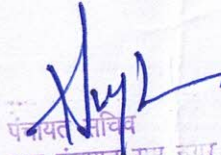
1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	457109.77	801125	1258234.77	868045	390189.77

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	280215.27	842532	1122747.27	95304	1027443.27


 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत राम नगर
 विकास खण्ड गगरेट
 तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

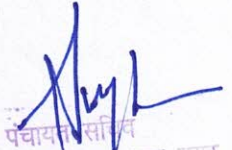
14
 13

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1694584.56	1694584.56	1694584.56	0


 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत राम नगर
 विकास खण्ड गगरोट
 तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)


15
 14

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	1417633.04
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1 अनुसार)	1416755.68
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	941.00
4)	योग (2+3)	1417696.68
5)	अन्तर (4-1)	63.64
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		63.64
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		0.00
कुल अंतर		63.64


 पंचायत समिति
 ग्राम पंचायत राम नगर
 विकास खण्ड गंगरेट
 तह. अम्ब जिला उन्नाव (हि.प्र.)


HS 15

परिशिष्ट (क-1)

पैर संख्या ५.१ (ए) के तहत

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gondpur Banehra (Own & GIA)	200128003065	380826.10
	SBI Gondpur Banehra (Own & GIA)	36625530986	4728.81
	SBI Gondpur Banehra (SBM)	36625507991	3703.50
	KCCB Mubarikpur (MMAY)	50066764582	54.00
	HDFC Gagret (15 th fc)	50100356973520	1027443.27
		योग	1416755.68
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	941.00
		योग (1+2)	1417696.68

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत रा. नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब गिला ऊना (हि.प्र.)

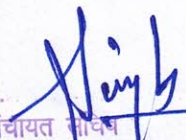
परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	1450	40100	41550	38100	3450


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)


48/17

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	2750	3000	5750	5250	500

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराये से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है।


 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत राम नगर
 विकास खण्ड गगरेट
 तह अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'व'

फैसल संख्या 7.3 के सन्दर्भ में

क्रमांक GP/2025-26/57

दिनांक 21.08.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना, हि0प्र0

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क बसूली की सूचना उपलब्ध करवाने बारे

क्रम सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	अमन दीप पुत्र पवन कुमार	18.04.2024	07.05.2024	762864	200.00	200.00	0.00
2	अमरीक सिंह पुत्र पविन्द्र कुमार	18.04.2024	08.05.2024	762865	200.00	200.00	0.00
3	विशाल पुत्र कुन्दन सिंह	11.08.2024	24.08.2024	762871	200.00	200.00	0.00
4	मनोज कुमार पुत्र रमेश चंद	10.10.2024	24.10.2024	762872	200.00	200.00	0.00
5	नवीन कुमार पुत्र सतीश कुमार	21.10.2024	02.11.2024	762873	200.00	200.00	0.00
6	सतनाम सिंह पुत्र सरवन सिंह	09.02.2019	13.12.2024	762874	400.00	400.00	0.00
7	युकेश पुत्र गुरजीत सिंह	22.11.2024	17.12.2024	762875	200.00	200.00	0.00
8	अमित कुमार पुत्र महिन्द्र सिंह	06.12.2024	21.12.2024	762876	200.00	200.00	0.00
9	अयादाव अलि पुत्र मेहर दीन	25.11.2024	06.02.2025	762879	400.00	400.00	0.00
10	असमील मुहम्मद पुत्र रेहमत अलि	24.02.2025	07.03.2025	763270	200.00	200.00	0.00
11	विनय जसवाल पुत्र अश्वनी कुमार	22.02.2025	13.03.2025	763273	200.00	200.00	0.00
कुल योग					2600.00	2600.00	

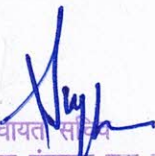
भवदीय,

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

20 19

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में						
ग्राम पंचायत द्वारा माह 06/2024 में खरीदी गई रेत, बजरी इत्यादि का विवरण						
क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि
1	मनरेगा	अपग्रेडेशन पंचायत घर व चारदिवारी	2441 dt. 25-07-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	12000.00
2	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	2879 Dt. 21-11-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	20298.00
3	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	2882 Dt. 02-12-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	16348.50
4	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	3335 Dt. 24-12-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	10000.00
5	मनरेगा	सौंदर्यकरण तालाव नजदीक गुरचरण सिंह वार्ड न0 1	2578 Dt. 05-11-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	14100.00
9	मनरेगा	नवीनीकरण व सौंदर्यकरण तालाव नजदीक आवादी गुरदेव सिंह वार्ड न0 6	3331 Dt. 06-02-24	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	8200.00
Grand Total						80946.50


 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत राम नगर
 विकास खण्ड गगरेट
 तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

M

1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		298	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--